

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2126 / 2011 / अजमेर

अपील संख्या – 2127 / 2011 / अजमेर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त-ब्यावर

.....अपीलार्थी

बनाम
मैसर्स जितेन्द्र ट्रेडिंग कम्पनी,
शाखा-भीम, ब्यावर, अजमेर

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री के.एल.जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई,
उप राजकीय अभिभाषक
श्री जे.एन.शर्मा
अभिभाषक

.....अपीलार्थी राजस्व की ओर से

..... प्रत्यर्थी की ओर से
निर्णय दिनांक : 29/06/2017

निर्णय

उक्त दोनों अपीलें राजस्व की ओर से उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या 186 एवं 187 / 2010-11 में पारित आदेश दिनांक 29.04.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिनमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ब्यावर द्वारा वर्ष 2006-07 के लिये वैट अधिनियम, 2003 की धारा 26 में पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 28.06.2010 को पूर्णतः अपास्त किया गया है एवं वर्ष 2007-08 के लिये वैट अधिनियम की धारा 24 के तहत पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 29.06.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील में अधिनियम की धारा 60 के तहत जब्त किये गये कर को नियमित कर मानते हुये समायोजन दिया गया है तथा धारा 60 में आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया है इसके अलावा अन्य कर ब्याज एवं धारा 58 व 64 की शास्ति को यथावत रखा गया है।

इन दोनों प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जाकर निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

राजस्व द्वारा उक्त पारित अपीलीय आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत अपील पर राजस्व के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है, जिनमें अपीलीय अधिकारी द्वारा अनुचित आदेश पारित कर वर्ष 2006-07 में पूर्णतः अपील स्वीकार की गई है एवं वर्ष 2007-08 में आंशिक रूप से अपील स्वीकार की गई है।

प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलाधीन अपीलीय आदेशों को पूर्णतया विधि एवं न्यायसम्मत बताया एवं कथन किया कि राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपीलों में ऐसा एक भी आधार कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है जो अपीलीय आदेश को अविधिक बता सके।

उभयपक्षीय बहस सुनी गई एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया।

लगातार.....2

प्रकरण के मूल तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा वैट अधिनियम की धारा 3(2) के तहत पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था, जिसके अनुसार व्यवहारी द्वारा विक्रय के समय कर संग्रहित नहीं किया जा सकता था परन्तु व्यवहारी द्वारा वर्ष 2006-07 एवं वर्ष 2007-08 के दौरान माल के विक्रय पर ग्राहकों से कर की वसूली की जाती रही थी एवं धारा 3(2) के व्यवसायी के रूप में नियमानुसार राजकोष में 0.25 प्रतिशत से टर्नओवर पर कर जमा कराते हुये विवरण पत्र प्रस्तुत किये गये थे, जिसके आधार पर वर्ष 2006-07 का कर निर्धारण आदेश पारित कर दिया गया परन्तु दिनांक 07.07.2008 को व्यवहारी फर्म की जांच की जाने पर व्यवहारी को कर संग्रहित करने की गलती परिज्ञान में आने पर दिनांक 28.03.2009 को विभाग के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी गलती मानते हुये पंजीयन प्रमाण पत्र में संशोधन किये जाने का आवेदन किया गया, जिसमें 01.04.2006 से ही धारा 3(2) के स्थान पर वैट व्यवसायी के रूप में पंजीयन दिये जाने का निवेदन किया गया, जिसे स्वीकार कर, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 28.03.2009 को पंजीयन प्रमाण पत्र में संशोधन कर व्यवहारी को दिनांक 01.04.2006 से नियमित वैट व्यवसायी मान लिया गया एवं धारा 3(2) का दर्जा समाप्त कर दिया गया जो रेकार्ड पर उपलब्ध पंजीयन प्रमाण पत्र अनुसार प्रमाणित है।

इस तरह यह स्पष्ट है कि व्यवहारी द्वारा वैट अधिनियम लागू होने के प्रथम वर्ष में एवं द्वितीय वर्ष में पंजीयन प्रमाण पत्र अधिनियम की धारा 3(2) में होते हुये भी कर वसूली भी कर ली गई, जो अविधिक थी परन्तु यह भी सही है कि इसे केवल अज्ञानवश गलती मानते हुये कर निर्धारण अधिकारी ने धारा 3(2) के स्थान पर नियमित वैट व्यवसायी के रूप में पंजीयन प्रमाण पत्र में दोनों वर्षों के समाप्ति के पश्चात संशोधन कर लिया गया एवं इसी आधार पर अपीलीय अधिकारी ने बाद की सम्पूर्ण विभागीय कार्यवाही को अनुचित माना कि जब कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वयं ने व्यवहारी की अज्ञानतावश की गई गलती को स्वीकार करते हुये पंजीयन में भूतलक्षी प्रभाव से अर्थात् दिनांक 01.04.2006 से संशोधन में कर दिया गया था तब बाद में पूर्व की स्थिति एवं संब्यवहारों पर शास्ति आरोपित किये जाने का या विधिक लाभ नियमित व्यवहारी के रूप में नहीं दिये जाने का आदेश किया जाना अविधिक है।

प्रकरण में वर्ष 2006-07 का जो कर निर्धारण आदेश हमारे समक्ष अपीलाधीन है वह दिनांक 28.06.2010 को अधिनियम की धारा 26 के तहत अर्थात् पूर्व में किये गये नियमित कर निर्धारण आदेश जो अधिनियम की धारा 24 के तहत दिनांक 30.03.2009 को पारित किया गया था, उसे पुनः खोलते हुये उसी टर्नओवर पर पुनः कर निर्धारण कर यह अवधारित किया कि चूंकि वर्ष 2006-07 में कर का अनाधिकृत कर संग्रहण किया गया था उस संग्रहित कर को जब्त किया गया एवं धारा 60 के तहत दुगनी शास्ति भी आरोपित की गई।

अपीलीय अधिकारी ने यह निर्णय दिया है कि वर्ष 2006-07 के लिये जो मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.03.2009 को पारित किया गया था वह कर निर्धारण आदेश पूर्ण विचार के पश्चात एवं व्यवहारी को वैट अधिनियम की धारा 3(2) से बाहर करते हुये नियमित कररोपण अधिनियम की धारा 4(1) के तहत किया गया था वह किसी भी प्रकार से छूटा हुआ कर निर्धारण नहीं था एवं उस कर निर्धारण अधिकारी ने घोषित टर्नओवर पर विधिअनुसार कर ब्याज एवं शास्ति आरोपित की हुई थी एवं संग्रहित कर को निर्धारित


करते हुये खरीद बिलों के अनुसार वैट नियम 18 के अनुसार इनपुट टैक्स का समायोजन भी प्रदान किया था।

उक्त आदेश को धारा 26 में किसी भी तरह से रि ओपन करने का कोई आधार नहीं था।


इस बिन्दु पर हमारे द्वारा अवलोकन किये जाने पर अपीलीय अधिकारी का आदेश विधिसम्मत पाया गया है क्योंकि जो कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.03.2009 को पारित किया गया था वह आदेश अधिनियम की धारा 24 के विधिक प्रावधानों की पालना करते हुये एवं व्यवसायी को अपने विवरण पत्रों एवं त्रुटियों को सुधार करने की अनुमति देने के पश्चात पारित किया गया था उसमें किसी भी तरह की त्रुटि नहीं थी एवं कोई भी टर्नओवर छूटा हुआ नहीं रह गया था। यह भी स्वयंसिद्ध है कि धारा 26 में किये गये कर निर्धारण में कोई नया टर्नओवर नहीं लिया गया है बल्कि पूर्व के टर्नओवर पर कर निर्धारण किया गया है जो अपीलीय निर्णय में अपास्त करने में कोई भूल नहीं की है अतः वर्ष 2006-07 के लिये अपीलाधीन आदेश की पुष्टि की जाती है।

कर निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिये अधिनियम की धारा 24 में पारित किये गये कर निर्धारण आदेश 29.06.2010 में पुनः व्यवहारी को नियमित वैट व्यवसायी मानते हुये एवं पंजीयन प्रमाण पत्र में दिनांक 26.03.2009 के आवेदन अनुसार 01.04.2006 से वैट व्यवसायी मानने के आधार पर कर निर्धारण किया गया है अर्थात् व्यवहारी को अधिनियम की धारा 3(2) के तहत व्यवसायी न मानते हुये पूर्ण घोषित टर्नओवर अनुसार करारोपण किया गया है ऐसी स्थिति में एवं विभाग द्वारा व्यवहारी को अधिनियम 3(2) की स्थिति से बाहर कर देने के बाद उसके संग्रहित कर को नियमित कर मान लेने पर उसी कर को धारा 60 में जब्त करना एवं धारा 60 में ही शास्ति का आरोपण किया जाना तथा घोषित संव्यवहारों पर धारा 61 के तहत शास्ति आरोपित किया जाना उचित नहीं है क्योंकि स्वयं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र में भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन कर दिया था एवं व्यवहारी द्वारा समस्त टर्नओवर की घोषणा की हुई थी जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित विस्तृत आदेश में पूर्ण विवेचना करते हुये नियमित आरोपित कर एवं ब्याज तथा धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति को यथावत रखते हुये जो आदेश पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से इसमें किसी भी तरह की हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है अतः राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपीलें खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(के.एल.जैन)

सदस्य


(खेमराज)
अध्यक्ष